MT-14

निरीक्षण प्रतिवेदन

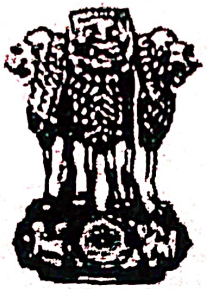

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : झंझारपुर

निरीक्षण की तिथि : 20–11–2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 20-11-2002 को झंझारपुर थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

झंझारपुर थाना जिला मुख्यालय, मधुबनी से 42 किलोमीटर की दूरी पर मधुबनी-तकरी-झंझारपुर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-57 पर अवस्थित है । इस थाना की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हुई है परन्तु इससे संबंधित अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । वर्ष 1943 में किये गये इस थाना के निरीक्षण टिप्पणी के अवलोकन से पता चलता है कि वर्ष 1942 में इस थाना की पुर्नस्थापना की गई है जिसमें पूर्व के सभी अभिलेखों को विनष्ट कर दिया गया है । गृह विभागीय अधिसूचना संख्या 2114, दिनांक 8-3-1977 के अनुसार झंझारपुर थाना को विभक्तकर अंधराठाढी थाना की स्थापना की गई है । दिनांक 15-7-1974 को झंझारपुर थानान्तर्गत रैयाम ओ०पी० का सृजन किया गया जिसे वर्ष 1981 में भैरवस्थान थाना के नाम से नामांकित कर दिया गया किन्तु इस थाना की विधिवत् अधिसूचना सरकार द्वारा अभीतक निर्गत नहीं की गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी मुख्यालय, पटना अथवा आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, दरभंगा से सम्पर्ककर, अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करते हुए उसकी एक प्रति 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करावें ।

आवागमन की सुविधा हेतु रेल एवं सड़क मार्ग उपलब्ध है । निरीक्षण के समय अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर उपस्थित थे ।

झंझारपुर अंचल के अन्तर्गत निम्नांकित थाना हैं :-

1- झंझारपुर थाना
2- आर० एस० शिविर थाना
3- भैरवस्थान थाना

2- भवन :-

झंझारपुर थाना अपने भवन में कार्यरत है । यह भवन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है, जो खपरैल है ।

लगातार...2/

भवन की स्थिति अत्यन्त जर्जर है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्षात के दिनों में यह भवन चूता है जिससे अभिलेखों की सुरक्षा हेतु पोलीथीन का सहारा लेना पड़ता है । खपरैल छत होने से आये दिन विषैले साँपों का निकलना जारी है । थाना परिसर काफी लम्बा-चौड़ा है परन्तु चहारदिवारी नहीं रहने के कारण असुरक्षित है । इस भवन में थाना प्रभारी के लिए एक कक्ष, एक सिरिस्ता कक्ष, मालखाना कक्ष, पुलिस बैरेक, महिला हाजत, पुरूष हाजत एवं वितंतु कक्ष है । थाना परिसर में थाना भवन के सटे पूरब आरक्षी निरीक्षक का पक्के कार्यालय भवन है । आरक्षी निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं आरक्षी समेत 07 आवासीय भवन है जिसकी मरम्मति आवश्यक है । थाना परिसर में एक शौचालय है जिसकी मरम्मति आवश्यक है । एक यानाकल है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है ।

कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर थाना भवन एवं आवासीय भवन की मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे एवं खपरैल छत की जगह कम-से-कम एस्बेस्ट शीट का छत बनवायेंगे इस थाना भवन को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण चहारदिवारी का होना आवश्यक है । अतएव चहारदिवारी के निर्माण हेतु बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग, पटना से अविलम्ब पत्राचार किया जाय । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में एक यानाकल गड़वाने एवं शौचालय की मरम्मति कराने की दिशा में एक माह में कार्रवाई सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

थाना परिसर में एक मंदिर एवं पेड़-पौधे हैं एवं परिसर की सफाई नियमित रूप से की जा रही है ।

3- कीट परेड का निरीक्षण :-

कीट परेड का निरीक्षण किया । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । इन्हें दिनांक 21-6-2002 को वर्दी आदि की आपूर्ति की गई है किन्तु कुछ वर्दी पुरानी है । नये वर्दी की आपूर्ति आवश्यक है ।

4- प्रभार :-

श्री विनय भूषण राय, अवर निरीक्षक दिनांक 4-9-2002 से थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हैं । इसके पूर्व श्री इन्तेखाब अहमद, अवर निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे । थाना प्रभारियों के पदस्थापन सूची वर्ष 1979 से

लगातार...3/-

भवन की स्थिति अत्यन्त जर्जर है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि वर्षात के दिनों में यह भवन चूता है जिससे अभिलेखों की सुरक्षा हेतु पोलीथीन का सहारा लेना पड़ता है । खपरैल छत होने से आये दिन विषैले साँपों का निकलना जारी है । थाना परिसर काफी लम्बा-चौड़ा है परन्तु चहारदिवारी नहीं रहने के कारण असुरक्षित है । इस भवन में थाना प्रभारी के लिए एक कक्ष, एक सिरिस्ता कक्ष, मालखाना कक्ष, मुंशित बैरेक, महिला हाजत, पुरूष हाजत एवं विसंतु कक्ष है । थाना परिसर में थाना भवन के सटे पूरब आरक्षी निरीक्षक का पक्के कार्यालय भवन है । आरक्षी निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं आरक्षी समेत 07 आवासीय भवन है जिसकी मरम्मति आवश्यक है । थाना परिसर में एक शौचालय है जिसकी मरम्मति आवश्यक है । एक यानाकल है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है ।

कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर थाना भवन एवं आवासीय भवन की मरम्मति कराना सुनिश्चित करेंगे एवं खपरैल छत की जगह कम-से-कम एस्बेस्ट शीट का छत बनवाएँगे । इस थाना भवन को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर होने के कारण चहारदिवारी का होना आवश्यक है । अतएव चहारदिवारी के निर्माण हेतु बिहार मुंशित बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग, पटना से अविलम्ब पत्राचार किया जाय । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि थाना परिसर में एक यानाकल गड़वाने एवं शौचालय की मरम्मति कराने की दिशा में एक माह में कार्रवाई सुनिश्चितकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

थाना परिसर में एक मंदिर एवं पेड़-पौधे हैं एवं परिसर की सफाई नियमित रूप से की जा रही है ।

3- कीट बरेड का निरीक्षण :-

कीट परेड का निरीक्षण किया । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । इन्हें दिनांक 21-6-2002 को वर्दी आदि की आपूर्ति की गई है किन्तु कुछ वर्दी पुरानी है । नये वर्दी की आपूर्ति आवश्यक है ।

4- प्रभार :-

श्री विनय भूषण राय, अवर निरीक्षक दिनांक 4-9-2002 से थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हैं । इसके पूर्व श्री इन्तेखाब अहमद, अवर निरीक्षक थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे । थाना प्रभारियों के पदस्थापन सूची वर्ष 1979 से

लगातार...3/-

संधारित की गई है जबकि यह थाना स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से कार्यरत है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रारम्भ से लेकर अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अन्दर उपलब्ध करावें । वर्ष 1979 से अबतक पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	नाम	कब से पदस्थापित	कबतक पदस्थापित
1-	अवर निरीक्षक	अर्जुन प्रसाद	07-03-1979	17-07-1979
2-	अवर निरीक्षक	सुदामा प्रसाद	18-07-1979	07-06-1980
3-	अवर निरीक्षक	मारकन्डे शर्मा	08-06-1980	10-07-1981
4-	अवर निरीक्षक	जितेन्द्र प्रसाद वर्मा	11-07-1981	26-05-1983
5-	अवर निरीक्षक	वीर बहादुर सिंह	27-05-1983	23-06-1986
6-	अवर निरीक्षक	नृपेन्द्र कुमार सिंह	24-06-1986	14-02-1989
7-	अवर निरीक्षक	सकलदेव चौधरी	15-02-1989	22-05-1990
8-	अवर निरीक्षक	विश्राम दास	23-05-1990	13-08-1992
9-	अवर निरीक्षक	ललन प्रसाद सिंह	14-08-1992	04-08-1994
10-	अवर निरीक्षक	राम बाबू किस्कु	05-08-1994	14-05-1995
11-	अवर निरीक्षक	रणवीर सिंह	15-05-1995	10-07-1996
12-	अवर निरीक्षक	इक्तेखार अहमद	11-07-1996	10-12-1997
13-	अवर निरीक्षक	उदयचन्द्र प्रसाद	11-12-1997	07-09-1998
14-	अवर निरीक्षक	शर्मा राय	08-09-1998	14-02-1999
15-	अवर निरीक्षक	कमरूल होदा खाँ	15-02-1999	03-09-2000
16-	अवर निरीक्षक	चन्द्रमा सिंह	04-09-2000	22-07-2001
17-	अवर निरीक्षक	इन्तेखाब अहमद	23-03-2001	04-09-2002
18-	अवर निरीक्षक	विनय भूषण राय	05-09-2002	अद्यतन ।

5- स्थापना :-

झंझारपुर थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्न प्रकार है :-

लगातार...4/-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्त	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	5	3	2	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	3	4	-	1
3-	हवलदार	2	-	2	-
4-	आरक्षी	5	6	-	1

क्रमांक	पदनाम	नाम	इस जिला में योगदान की तिथि	इस थाना में योग० की तिथि	पूर्व पदस्थापन गृह वता का स्थान
1-	अ० नि०	विनय भूषण राय	04-09-2002	1994	कुलहरात थाना ग्राम मकन्दपुर, भागलपुर
2-	अ० नि०	ए० एन० झा	19-07-2001	1999	बेनीपट्टी थाना ग्रामविश्वनाथपुर, सीतामढ़ी
3-	अ० नि०	विनोद कुमार	15-06-2001	2000	राजनगर थाना ग्राम-पो० बखितयारपुर, पटन
4-	त० अ० नि०	परीक्षण सिंह	14-06-1999	1999	आरक्षी केन्द्र ग्राम-पो० धुनार, जिला गया
5-	त० अ० नि०	बाल कृष्ण राय	18-07-2001	1998	तकरी थाना ग्राम तमखा, जिला समस्तीपु
6-	त० अ० नि०	शोभाकान्त सिंह	22-07-2002	2002	आरक्षी केन्द्र ग्राम तुगौल, जिला दरभंगा
7-	त० अ० नि०	जानकी दास	04-10-8002	1995	आरक्षी केन्द्र ग्राम केदारचक, जिला पटना
8-	ता०आ०-167	विजय कुमार पांडे	11-10-2002	2001	मधेपुर थाना ग्राम अगरपुरा, जिला भोजपुर
9-	आ० -282	ललन सिंह	19-04-2002	2000	आरक्षी केन्द्र ग्राम राज बिगहा, जहानाबा
10-	आ० -78	बाबू लाल मंडल	23-10-2001	2001	आरक्षी केन्द्र ग्राम गुरली, जिला भागलपुर
11-	आ० -375	परमानन्द सिंह	23-10-2001	2001	आरक्षी केन्द्र ग्राम बधोनियाँ, जिला बाँका
12-	आ० -327	सुदामा तुरहा	04-10-2002	2002	आरक्षी केन्द्र ग्राम तौंचा, हुसैनगंज, सिवान
13-	आ०- 77	अमीरूदीन खाँ	04-10-2002	-	आरक्षी केन्द्र ग्राम नातो, जिला नालन्दा

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अवर निरीक्षक के दो पद एवं हवलदार के दो पद रिक्त हैं । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि समीक्षाकर स्वीकृत बल के अनुरूप पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे

लगातार...5/-

6- पूर्व निरीक्षण :-

झंझारपुर थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारियों का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टि0 प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री ए0 एन0 पी0 वर्मा	आरक्षी उप महा0	18-10-1979	25-10-1979	09-12-1979
2-	श्री नतीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक	08-02-1979	22-06-1979	14-12-1979
3-	श्री नतीम अहमद	आरक्षी अधीक्षक	23-10-1980	23-10-1980	01-12-1980
4-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	19-12-1980	21-12-1980	02-09-1981
5-	श्री रंजीत सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक	28-07-1982	28-07-1982	16-12-1982
6-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक	27-01-1984	31-01-1984	12-02-1984
7-	श्री अरूण चौधरी	आरक्षी अधीक्षक	11-03-1985	02-04-1985	09-05-1985
8-	श्री निर्मलचन्द्र दौंदियाल	आरक्षी अधीक्षक	19-07-1986	31-07-1986	23-12-1986
9-	श्री नीलमणि	आरक्षी अधीक्षक	12-01-1990	29-01-1990	01-12-1990
10-	श्री पी0 आर0 के0 नायडू	आरक्षी अधीक्षक	25-04-1993	29-04-1993	02-08-1993
11-	श्री तहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक	30-10-1997	07-11-1997	04-09-1998
12-	श्री यू0 एस0 दत्त	स0 आ0 अं0	26-02-1980	16-04-1980	01-10-1980
13-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0 आ0 प0दा0	18-10-1981	20-10-1981	02-01-1982
14-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0 आ0 प0दा0	20-09-1982	21-10-1982	16-12-1982
15-	श्री भवेश ठाकुर	अनु0 आ0 प0दा0	09-03-1984	14-03-1984	28-10-1984
16-	श्री एम0 ए0 काजमी	अनु0 आ0 प0दा0	30-03-1985	20-04-1985	26-05-1985
17-	श्री सी0 के0 मिश्रा	अनु0 आ0 प0दा0	31-10-1985	31-10-1985	15-03-1986
18-	श्री बी0बी0भारती	अनु0 आ0 प0दा0	31-12-1989	02-01-1990	23-03-1990
19-	श्री बी0बी0भारती	अनु0 आ0 प0दा0	28-07-1990	21-11-1990	04-05-1991
20-	श्री मनमोहन सिंह	स0 आ0 अ0	01-08-1991	04-08-1991	05-10-1991
21-	श्री एम0 रहमान	अनु0 आ0 प0दा0	29-12-1992	06-01-1993	06-02-1993

लगातार...6/-

22-	श्री एम० ए० रज्जाक	अनु० आ० पदा०	29-01-1996	09-04-1996	31-12-199
23-	श्री एस० आर० खान	अनु० आ० पदा०	19-09-1998	15-10-1998	05-10-200
24-	मो० इसलाम	अनु० आ० पदा०	30-03-2000	07-04-2002	22-11-200
25-	मो० अमजद अली	अनु० आ० पदा०	26-08-2001	08-09-2001	12-03-198
26-	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आ० नि०	11-03-1982	11-03-1982	08-11-198
27-	श्री योगेन्द्र प्रसाद	आ० नि०	25-10-1982	25-10-1982	08-11-198
28-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०	08-11-1983	08-11-1983	01-07-198
29-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०	30-06-1984	30-06-1984	11-02-198
30-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०	08-02-1985	08-02-1985	29-07-198
31-	श्री एस० पी० सिन्हा	आ० नि०	14-07-1985	14-07-1985	20-07-198
32-	श्री सत्यदेव सिंह	आ० नि०	28-12-1986	25-12-1986	31-12-198
33-	श्री सत्यदेव सिंह	आ० नि०	19-12-1987	23-07-1989	31-12-198
34-	श्री बबन प्रसाद यादव	आ० नि०	23-07-1989	23-07-1989	30-07-199
35-	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	आ० नि०	28-10-1990	29-07-1991	05-10-199
36-	श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह	आ० नि०	28-09-1991	28-09-1991	01-12-199
37-	श्री निर्मल कुमार	आ० नि०	23-11-1992	23-11-1992	02-03-199
38-	श्री सीता राम	आ० नि०	26-02-1994	26-02-1994	31-02-199
39-	श्री उमाकान्त बैठा	आ० नि०	26-09-1996	29-09-1996	21-12-199
40-	श्री एम० ए० रज्जाक	आ० नि०	30-09-1996	30-09-1996	08-09-200
41-	श्री राघव प्रसाद सिंह	आ० नि०	07-10-1998	07-10-1998	23-08-200
42-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आ० नि०	26-03-2000	12-04-2001	27-10-200
43-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आ० नि०	16-09-2002	17-09-2002	

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1997 के बाद आरक्षी अधीक्षक द्वारा एवं 2001 के बाद अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । वर्ष 1945 में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण किया गया है, उसके बाद किसी भी अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया है कि अनुमण्डल पदाधिकारी अपने

लगातार...7/-

क्षेत्रान्तर्गत पड़नेवाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करेंगे । अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के साथ-साथ सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि नियमित रूप से इस थाना का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे ।

वर्ष 1942 से उपलब्ध निरीक्षण टिप्पणियों का अवलोकन किया । निरीक्षण टिप्पणी की रखी तंचिका (भौलूम) क्षतिग्रस्त हो गई है जबकि यह थाना के लिए धरोहर है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि वर्षवार भौलूम को दो दिनों के अन्दर बाइन्डिंग कराना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें । कुछ अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि अनुपालन स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है बल्कि "अनुपालन किया गया है, किया जा रहा है" लिखा गया है, जो उचित नहीं है । कुछ अनुपालन प्रतिवेदन को अप्रत्याशित विलम्ब से भेजा गया है । उदाहरण के लिए मो० इसलाम, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा दिनांक 30-03-2000 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन 05-10-2002 को अर्थात ढाई वर्ष के बाद भेजा गया है जबकि श्री एम० ए० रज्जाक, अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा दिनांक 29-01-1996 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभीतक नहीं भेजा गया है, जो चिन्ताजनक स्थिति का द्योतक है । सामान्यतः निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए । यदि उक्त अवधि में पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन संभव नहीं हो तो कम-से-कम अंतरिम अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । थाना प्रभारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे । उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि सभी निरीक्षण टिप्पणियों का अध्ययनकर जो कंडिका अनुपालन हेतु छुटे हुए हैं, उनका अनुपालन प्रतिवेदन भेजते हुए एक माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे । यदि वरीय पदाधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर स्पष्ट रूप से नहीं भेजा जाता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है । निरीक्षण टिप्पणीमेंदिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर दिये जाने पर कार्यों में गुणात्मक सुधार आने की संभावना रहती है ।

7- थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-116 के तहत कार्य सं० 15 में थाना दैनिकी संधारित करना है, जो इस थाना में किया जा रहा है । यह दो प्रतियों में होती है । कार्बन प्रति आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को प्रतिदिन भेज दी जाती है । आर

लगातार...8/-

निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेज दी जाती है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाएँ अंकित की जा रही है जो प्रतिदिन 08-00 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होकर दूसरे दिन 08-00 बजे तक चलता रहता है अर्थात 24 घंटे के चक्र में जारी रहता है । यह नियमित रूप से लिखा जा रहा है ।

निरीक्षण के दौरान थाना दैनिकी के बुक संख्या 12038 के क्रमांक 1203701 से 1203800 का अवलोकन किया । दिनांक 18-11-2002 को वादी शंकर कुमार प्रसाद पे0 जगन्नाथ प्रसाद सा, बंधानाथ थाना झंझारपुर ने लिखित आवेदन दिया कि दिनांक 15-11-2002 को 9-00 बजे दिन में राजेश हलुवाई पे0 श्याम हलुवाई (2) गबर हलुवाई पे0 श्याम हलुवाई (3) श्याम हलुवाई पे0 पचकौड़ी हलुवाई, सा0 झंझारपुर बाजार ने मिलकर मारपीटकर तथा गाली-गलौजकर साईकिल ले लेने का आरोप लगाया जिस पर थाना कांड सं0 135/2002, दिनांक 18-11-2002 धारा 342/323/379/504/34 भा0द0वि0 अंकित किया गया । कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

थाना दैनिकी के अवलोकन से पाया गया कि इसकी लिखावट अच्छी नहीं है एवं कहीं-कहीं (पृविष्टि सं0 703 पर) पर ओभर-राईटिंग किया गया है, जो उचित नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना दैनिकी सुन्दर लिखावट में लिखवाना सुनिश्चित करें एवं सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि में ओभर-राईटिंग नहीं हो । यदि विशेष परिस्थिति में ओभर-राईटिंग की नौबत आती है तो, पुनः काटकर साफ अक्षरों/अंकों में लिखें एवं वहाँ पर हस्ताक्षर करें ।

8- फिरारी बंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 118 के तहत फार्म संख्या 16 में फिरारी पंजी संधारित है । फिरारी पंजी के अवलोकन से पता चलता है कि भाग संख्या में फिरारी की संख्या शून्य है । भाग संख्या- 2 के फिरारी अनिल कुमार चौधरी पे0 खेलानन्द चौधरी, सा0 बेर थाना कुशेश्वरस्थान, जिला दरभंगा की गिरफ्तारी हेतु ज्ञापांक 1154/02, दिनांक 18-11-2002 के माध्यम से थाना प्रभारी कुशेश्वरस्थान से अनुरोध किया गया है । इस पंजी के अनुसार कुल फिरारियों की संख्या 05 है जिनकी गिरफ्तारी हेतु दिनांक 20-2-2002 को अंतिम रूप से ज्ञापत्रारी की गई है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता

लगातार...9/-

है कि फिरार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु औचक रूप से छापामारी करें एवं उनकी उपलब्धता की जानकारी हेतु गुप्तचर को तैनात करें ।

9- रिटर्न ऑफ अनएक्जक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 109 के तहत फार्म सं0 50 में यह बंजी संधारित करना है, जो इस थाना में नहीं किया जा रहा है बल्कि एक सादे पंजी में संधारित किया गया है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि विहित प्रपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इसे सादे पंजी में संधारित किया गया है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी मुख्यालय से सम्पर्क स्थापितकर प्रपत्र प्राप्तकर संधारित करें एवं एक पक्ष में अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । दिनांक 20-11-2002 तक प्राप्त वारंट/कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

पूर्व से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		माह के अंत में लंबित	
वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
21	-	06	-	06	-	21	-

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	पदाधिकारी का नाम	लंबित वारंट	लंबित कुर्की
1-	अ0 नि0	ए0 एन0 झा	04	-
2-	स0 अ0 नि0	बाल कृष्ण राय	04	-
3-	स0 अ0 नि0	शोभाकान्त सिंह	10	-
4-	स0 अ0 नि0	परीक्षण सिंह	03	-
		कुल :-	21	

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित वारंटों का तामिला कराकर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । क्रमांक 26 पर अंकित नरेन्द्र कुमार झा के नाम से निर्गत वारंट दिनांक 5-2-02 से लंबित है । थाना पु0 इसे तामिला कराकर गिरफ्तार करें अथवा फिरारी घोषित हेतु प्रस्ताव शीघ्र भेजें ।

10/-

10- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 171 के तहत फार्म सं0 31 ए. में पंजी संधारित करना है परन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र के अभाव में सादे पंजी में संधारित किया गया है । इस पंजी के अनुसार जनवरी, 2002 में 03, फरवरी में 03, मार्च में 19, अप्रील में 03, मई में 04, जून में 06, जुलाई में 03, अगस्त में 02, सितम्बर में 05, अक्तूबर में 10 अर्थात कुल 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है । इससे अपराधियों का मनोबल गिरता है एवं विधि-व्यवस्था के संधारण में सहायता मिलती है ।

11- रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म सं0 25 में यह पंजी संधारित है । यह पंजी दिनांक 21-2-2002 को सत्यापित कराई गई है । इस पंजी के अनुसार कुल 13 आर्म्स लाईसेंस हैं जिनकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

1- डी0 बी0 बी0 एल0	-	12
2- एस0 बी0 बी0 एल0	-	01
3- रायफल	-	-
4- रिवॉल्वर	-	-
कुल :-		13

12- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 239, भॉलूम-II एवं फार्म सं0 43 ए. में यह पंजी संधारित है । इस वर्ष अबतक 50 व्यक्तियों को हाजत में डाला गया है । पंजी सही ढंग से संधारित की जाती है किन्तु कॉलम संख्या 4, 5 एवं 6 को खाली रखा गया है, जो उचित नहीं है । यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । यह पंजी उस समय और महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय से किसी मामले में प्रतिवेदन की माँग की जाती है । यदि इस पंजी के स्तम्भ खाली रखे जाते हैं और बन्दी के साथ कोई घटना घट जाती है तो साधारणतया यह माना जा सकता है कि थाना प्रभारी

लगातार...11/-

द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है । अतः थाना प्रभारी सभी सतम्भों को भरवाना सुनिश्चित करें ।

13- तख्ती नं0 01 :-

सरकारी सम्पत्ति की सूची से संबंधित तख्ती नं0-01 का अवलोकन किया । यह सूची दिनांक 26-4-2002 तक सत्यापित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस सूची को अद्यतन सत्यापित करा लें एवं जितने भी सरकारी सम्पत्ति हैं, उसकी सुविष्टिकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

14- तख्ती नं0 02 :-

थाना में पदस्थापित हर संक्ति के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पता इस तख्ती में अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

15- तख्ती नं0 03 :-

विस्फोटक अधिनियम के तहत अनुज्ञा-प्राप्त कारखाने, दूकानों की सूची इस तख्ती में रखी जाती है किन्तु इस थाना में यह प्रतिवेदन शून्य है ।

16- तख्ती नं0 04 :-

इस तख्ती में गोला, बारूद , आयुध के संबंध में सूचना अंकित रहती है । इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

17- तख्ती नं0 05 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के तहत अनुज्ञा-प्राप्त दूकानों की सूची रहती है किन्तु इस थाना में प्रतिवेदन शून्य है

18- तख्ती नं0 06 :-

इस तख्ती में उत्पाद अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त देशी/विदेशी शराब एवं अफीम के दूकानों की सूची रहती

लगातार...12/-

है । इस क्षेत्र में श्री सत्य नारायण प्रसाद पे0 स्व0 सुन्दर लाल साव, ग्राम पटेलनगर, खगड़िया के नाम से देशी शराब की अनुज्ञप्ति संख्या 66 ए/दिनांक 31-3-2002 है । अनुज्ञप्ति की छाया प्रति संधारित की गई है ।

19- तख्ती सं0 07 :-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित पदाधिकारियों का नाम अंकित किया जाता है, जो अद्यतन है ।

20- तख्ती नं0 08 :-

इस तख्ती में जुआ, गेरिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । इस थाना में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है ।

21- तख्ती नं0 09 :-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र में लगनेवाले हाट, बाजार की सूचना अंकित की जाती है जिसकी तिथिवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	स्थान का नाम	दिन
1-	झंझारपुर बाजार समिति	रविवार एवं बुधवार
2-	धनौरागंज	शनिवार एवं मंगलवार

22- तख्ती नं0 10 :-

इस तख्ती में थाना क्षे के प्रमुख/मुखिया/पंचायत समिति के सदस्य/नगर पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड सदस्यों की सूची रखी जाती है, जो अद्यतन है ।

23- तख्ती नं0 11 :-

यह तख्ती नियम 152 के तहत निर्धारित प्रपत्र में संधारित की जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

लगातार... 13/-

24- तख्ती नं0 12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस थाना में कुल दागी व्यक्तियों की संख्या 05 है । सभी दागी व्यक्ति ए श्रेणी के हैं जिनकी सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	दागी संख्या	नाम एवं पता	ग्राम	जाँच विवरणी	संख्या
1-	ए / 220	बेचन मियाँ पे0 स्व0 गफुर मियाँ	कन्हौली	मासिक	6
2-	ए / 221	रहबर मिया पे0 मो0 अब्बास	कन्हौली	मासिक	6
3-	ए / 222	बच्चे लाल मंडल पे0 स्व0 बृहस्पति मंडल	कन्हौली	मासिक	6
4-	ए / 223	मो0 हनीफ पे0 फौदार मिया	कन्हौली	मासिक	6
5-	ए / 224	उपेन्द्र तोनार पे0 नथुनी ताह	कन्हौली	मासिक	6

25- तख्ती नं0 13 :-

इस तख्ती में सीमावर्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है, जो संधारित है एवं अद्यतन है ।

26- तख्ती नं0 14 :-

इस तख्ती में उच्चाधिकारियों को भेजीजानेवाली विवरणी रखी जाती है । तख्ती अद्यतन है ।

27- तख्ती नं0 15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रहता है । मानचित्र संधारित है परन्तु इसे नये पंचायत के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी इसे अद्यतनकर एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

28- तख्ती नं0 16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना जिसके अनुसार थाना का सृजन किया गया है, की प्रति रखी जाती है परन्तु

इस थाना की अधिसूचना की प्रति उपलब्ध नहीं है । थाना प्रभारी एक माह के अन्दर अधिसूचना की प्रति प्राप्तकर संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें । इस थाना का कुल क्षेत्रफल 13.50 वर्गमील है एवं कुल जनसंख्या 49,523 है । कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 20 है जिसमें 4 बेचिरागी है । थाना संख्या 309 है ।

उपर्युक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि थाना प्रभारी द्वारा इसे अच्छे ढंग से संधारित किया जा रहा है फिर भी कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, जिसे निर्धारित समय-सीमा के अन्दर दूरकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

29- सब-इन्सपेक्टर नोट बुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या 75 बी० में सब-इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है परन्तु इस थाना में इसे विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर एक सादे बेड में संधारित किया गया है । इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं की प्रविष्टि की जाती है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्तकर इसे संधारित करें ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-I :-

यह बंजी विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें 64 कॉलम है एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा अक्तूबर, 2002 तक लिखी गई है । यह बंजी अच्छे ढंग से संधारित की जा रही है परन्तु नये प्रोफार्मा में 64 कॉलम की जगह 68 कॉलम का प्रोफार्मा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि नये प्रोफार्मा प्राप्तकर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें ।

31- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट -II :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम, अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है, चोरी गये एवं बरामद सामानों की विवरणी आदि थाना प्रभारी द्वारा लिखी जाती है । बंजी अद्यतन है ।

लगातार...15/-

32- सी0 डी0 पार्ट- I :-

इसमें दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस पंजी के अनुसार कुल दागी व्यक्तियों की संख्या 05 है । पंजी सही ढंग से संधारित की जा रही है ।

33- सी0 डी0 पार्ट- II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधी अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध अपराध साबित हो जाता है तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन से पाया गया कि क्रमांक 4908 पर मधेपुर थाना(आर0एस0 शिविर थाना कांड सं0 110/01, दिनांक 25-05-2001 से संबंधित है जिसकी प्रविष्टि एम0ओ0 इन्डेक्स रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 20 भौलूम-I पर एवं अल्फाबेटिकल रजिस्टर के क्रमांक 122 भौलूम संख्या-I पर अंकित है । अभियुक्त का नाम जनक राम पे0 गंगा राम, राम बाबू कुमार पे0 विश्वनाथ कसेरा, एवं पिंकु राम पे0 जीवछ राम, सभी साकिनान झंझारपुर बजार के हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि सी0डी0पार्ट-II, एम0ओ0 रजिस्टर एवं अल्फाबेटिकल रजिस्टर में पूर्ण तालमेल है । इस पंजी में अंतिम प्रविष्टि संख्या 4908 है ।

34- सी0डी0 पार्ट- III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्त्वपूर्ण विषयों पर यथा यूनियनवार धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय अभ्युक्तियाँ वर्षवार थाना प्रभारी द्वारा अंकित की जाती है । इस पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

35- अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला आता है तो उसे अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी से नाम देखकर

सी०डी० पार्ट ।। से संबंधित व्यक्तियों के आचरण एवं गतिविधि के बारे में जानकारी ली जाती है । वस्तुतः अल्फाबेटिकल अनुक्रमणी पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । अल्फाबेट अनुक्रमणी पंजी सी०डी० पार्ट-।। में अंकित व्यक्तियों के आधार पर ही बनाई जाती है । यदि इस पंजी में अंकित व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो उनका नाम लाल स्याही से काट दिया जाता है । यह पंजी सही ढंग से संधारित की जा रही है ।

36- एम० ओ० रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या 76 ए. में एम०ओ० रजिस्टर संधारित की गई है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली यथा लूटपाट किया गया अथवा नहीं, लाठी डन्डा से मारपीट किया गया अथवा नहीं, जाते समय क्या-क्या बोला गया आदि दर्ज किया जाता है । पंजी सही ढंग से संधारित की जा रही है ।

37- अप्राकृति मृत्यु :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	साँप काटने से	गिरने से	जलने से	फाँसी से	जहर खाने से	पानी में डुबने से	वज्रपात से	बिजली करंट से	अन्य कारण से	कुल
1997	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
1998	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
1999	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2000	1	-	-	-	1	2	-	-	-	4
2001	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
2002	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
कुल :-	5	-	-	1	2	7	-	1	1	17

लंबित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोगों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	यू0डी0 कांड संख्या	दिनांक	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम / पदनाम	लंबित का कारण
1-	02 / 01	26-02-2001	स0 अ0 नि0 परीक्षण सिंह	भितरा जाँच हेतु
2-	03/ 01	20-11-2001	स0 अ0 नि0 परीक्षण सिंह	भितरा जाँच हेतु
3-	03/ 02	02-07-2002	स0 अ0 नि0 परीक्षण सिंह	भितरा जाँच हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि यू0डी0कांड सं0या 02/01 काफी दिनों से लंबित है । थाना प्रभारी इसे एक माह के अन्दर निष्पादन कराकर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

38- अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

इस हेतु सादे रजिस्टर में अलग से एक पंजी संधारित की गई है । इस पंजी के अनुसार वर्ष 1992 से अबतक कुल 19 मामले दर्ज किये गये हैं । वर्ष 2002 में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है और न ही कोई मामला अनुसंधान हेतु लंबित है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1992 में 2, 1993 में 3, 1994 में 1, 1995 में 1, 1996 में 3, 1997 में 2, 1998 में 3, 1999 में 2, 2000 में 1 एवं 2001 में 1 मामला दर्ज किया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि थाना प्रभारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत पूर्ण संवेदनशील रहें एवं यदि कोई मामला आता है/आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो कांड अंकित कर निष्पक्ष होकर त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि लोगों का विश्वास पुलिस एवं प्रशासन के प्रति बढ़े । इस अधिनियम को सख्ती से लागू करावें ।

39- रजिस्टर ऑफ आम्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म सं0 67 में यह पंजी संधारित करना है । पंजी संधारित है जिसके अनुसार 2 आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 4709/69 कामेश्वर नायक पे0 रामेश्वर नायक, सा0 झंझारपुर एवं अनुज्ञप्ति संख्या 6157/72 महंथ राधाचरण चेला महंथ चक्रधर, सा0 धनौरागंज (गोठ), झंझारपुर का जमा है ।

लगातार...18/-

40- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 59 (क) के तहत फार्म नं0 6 ए. में यह प्रतिवेदन आरक्षी निरीक्षकों द्वारा भेजा जाना है परन्तु आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा यह प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नहीं भेजा जा रहा है जो चिन्ता का विषय है । नियम 58 (क) में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र संख्या 6 ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगा, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

41 - चौकीदारी बंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 13 के तहत विहित प्रपत्र में एवं अच्छे ढंग से चौकीदारी बंजी का संधारण किया जा रहा है । यह बंजी 19 कॉलमों में है जिसमें प्रत्येक चौकीदारों के लिए अलग-अलग पृष्ठ आबंटित की गई है एवं उपस्थिति रोमन अंक में दर्ज की जा रही है । अनुपस्थित चौकीदारों के संबंध में लाल ईंक से इटालियन अंक में लिखा जा रहा है ।

चौकीदारों / दफादारों के स्वीकृत बल एवं पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति
1-	दफादार	2	2	-
2-	चौकीदार	24	24	-

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	बीट नं0	पदनाम	नाम	महाल/गाँव का नाम	गृह पता
1-	5	दफादार	गंगा राम यादव	-	ग्राम मधधी, पो0 तुखेत, थाना झंझारपुर, मधुबनी

लगातार...19/-

2-	6	चौकीदार	महेन्द्र महतो	झंझारपुर-बाजार	ग्राम कन्हौली पो० झंझारपुर, जिला मधुबनी
3-	5/1	चौकीदार	पंचु पासवान	धनौरागंज	ग्राम-पो० धनौरागंज, थाना झंझारपुर, मधुबनी
4-	5/2	चौकीदार	राम किशुन पासवान	धनौरागंज गोठ	ग्राम-पो० धनौरागंज गोठ, झंझारपुर, मधुबनी
5-	5/3	चौकीदार	समर लाल पासवान	रेबारी चोरामहरैल	ग्राम मलिछाम, पो० चोरामहरैल, जिला मधुबनी
6-	5/4	चौकीदार	राम सेवक राम	कनकपुरा/सिन्दुरपुरा	ग्राम-पो० धनौरागंज, झंझारपुर, मधुबनी
7-	5/5	चौकीदार	ठकाई कामत	मझौड़ा / ठोलहा	ग्राम मझौरा, पो० धनौरागंज, झंझारपुर, मधुबनी
8-	5/6	चौकीदार	मो० तफीक	मछथी	ग्राम मछथी, पो० सुखेत, झंझारपुर जिला मधुबनी
9-	5/7	चौकीदार	रामचन्द्र सदाय	सिमरा	ग्राम-पो० सिमरा, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
10-	5/8	चौकीदार	बिलट पासवान	मलिछाम/रहिकान/चो०	ग्राम मलिछाम, पो० चोरामहरैल, जिला मधुबनी
11-	5/9	चौकीदार	कुशेश्वर पासवान	महेशपुरा	ग्राम महेशपुरा, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
12-	5/10	चौकीदार	राम नारायण मंडल	ताजपुर	ग्राम ताजपुर, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
13-	6/1	चौकीदार	महावीर पासवान	कन्हौली पूर्वी	ग्राम कन्हौली, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
14-	6/2	चौकीदार	मो० अयुब	कन्हौली पश्चिम	ग्राम कन्हौली, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
15-	6/3	चौकीदार	हरेराम पासवान	झंझारपुर द०/इस्लामपुर	ग्राम-पो०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
16-	6/4	चौकीदार	बउअन मंडल	झंझारपुर गोदाम महल्ला	ग्राम-पो०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
17-	6/5	चौकीदार	शिवु राय	झंझारपुर प० टोल	ग्राम -पो०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
18-	6/6	चौकीदार	सीताराम मंडल	जैसीटोल झंझारपुर	ग्राम-पपे०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
19-	6/7	चौकीदार	ज्ञानी राय	भंडारीटोल/कोर्ट कॉ०	ग्राम-पो०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
20-	6/8	चौकीदार	तूरज खतवे	झंझारपुर बाजार	ग्राम-पो०-थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
21-	6/9	चौकीदार	तुबेलाल राय	झंझारपुर/रामचौक	ग्राम बेलाराही, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
22-	6/10	चौकीदार	मोती कामत	गोधनपुर	ग्राम गोधनपुर, पो० सुखेत, झंझारपुर, मधुबनी
23-	6/11	चौकीदार	राम गुलाम राय	बेलाराही	ग्राम बेलाराही, थाना झंझारपुर, मधुबनी
24-	6/12	चौकीदार	उत्तीम पासवान	मोहना महेशपुरा	ग्राम करमौली, पो० झंझारपुर, जिला मधुबनी
25-	6/13	चौकीदार	किशोरी मंडल	सुखेत, विशौल, कोरियापo	ग्राम-पो० सुखेत, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी
26-	6X14	चौकीदार	शिव पासवान	परतापुर	ग्राम परतापुर, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी

चौकीदारी परेड का निरीक्षण किया । बीट संख्या 6/9 के चौकीदार तुबे लाल राय बहुत बूढ़े हैं । अतएव उनके स्वैच्छिक सेवानिवृति का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाय । चौकीदारों द्वारा बताया गया कि उन्हें जो मुरैठा की आपूर्ति की

लगातार... 20/-

गई है, वह पोलिस्टर की है एवं आरामदेह नहीं है । सूती कपड़े की मुरैठा की आपूर्ति आवश्यक है । प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्यप्रशाखा इस संबंध में समुचित प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे ।

42- चौकीदार डिस्पोजीशन पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं सभी 8 कॉलम भरा हुआ पाया गया ।

43- मालखाना पंजी :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 307 के तहत फार्म सं0 51 में मालखाना पंजी संधारित करना है जिसमें (क) लावारिस सम्पत्ति (ख) जब्त सम्पत्ति (ग) कुर्की से प्राप्त सम्पत्ति एवं (घ) अपराधिक विचारणों में प्राप्त प्रदर्श के रूप में भेजी गई सम्पत्ति दर्ज की जाती है । यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । उक्त पंजी के अनुसार कुर्की जब्ती के-4, प्रदर्श-19 एवं विविध 3 कुल 26 प्रदर्श सुरक्षित रखे गये हैं । मालखाना के अवलोकन से पाया गया कि सभी प्रदर्शों को यत्र-तत्र अव्यवस्थित ढंग से रखा गया है । इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि कौन-सा प्रदर्श किस कांड से संबंधित है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि पिछले 10 वर्षों से मालखाना का प्रभार नहीं हुआ है, जो चिन्ता का विषय है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर मालखाना का प्रभार लेकर, संबंधित न्यायालय से कांड की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर जब्त प्रदर्शों के निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर अपने स्तर से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे ।

44- मालखाना रिसीट भाउचर पंजी :-

मालखाना रिसीट भाउचर पंजी संधारित है जिसमें सक्षम न्यायालय अथवा दण्डाधिकारी के आदेश से जो भी जब्त सामग्री (प्रदर्श) मालखाना से मुक्त किया जाता है, उक्त आदेश की प्रति पेस्ट कर रखी जाती है । यह पंजी तीन भागों में होती है यथा (क) जिम्मेनामा पंजी (ख) मजिस्ट्रेट आदेश पंजी (ग) मालखाना पंजी । तीनों पंजियों में अन्योनाश्रय संबंध है किन्तु ऐसा देखा गया है कि सभी थानों में इन तीनों पंजियों में पूर्ण तालमेल नहीं रहता है । थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार...21/-

45- अनुक्रमणी पंजी :-

अनुक्रमणी पंजी तादे पंजी में संधारित है जिसके अनुसार कुल 33 पंजी है ।

46- गुन्डा पंजी :-

गुन्डा पंजी संधारित है एवं समय-समय पर इसका मिलान आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से किया जा रहा है ।

47- अपराध आँकड़ा :-

झंझारपुर थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृह भेदन	चोरी	दंगा	विद्युत चोरी
1997	-	-	-	3	6/2	4/3	-
1998	1/1	3/1	-	4/1	2/2	18/3	-
1999	-	-	-	5	8/4	3/3	-
2000	1	-	-	5/2	4/1	8/7	4/3
2001	-	-	-	-	3	6/2	2/2
2002	-	1/1पी	1/1पी	2/1	7/2/1पी	3/3पी	1/1

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपराध के सभी क्षेत्रों में इस वर्ष कांड प्रतिवेदित हुए हैं । अतः थाना प्रभारी को इस ओर विशेष सक्रिय होने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को तेजकर अपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें, अभियुक्तों को गिरफ्तार करें अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी/आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अपने स्तर से भी विशेष निगरानी रखें ताकि अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे ।

लगातार.. 22/-

48- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र संख्या 119 आ में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित की गई है जिसमें (1) न्यायालय से संबंधित (2) विभाग से संबंधित (3) सीमावर्ती थानों से संबंधित (4) आम जनता से संबंधित एवं (5) आचरण सत्यापन से संबंधित पंजी अलग-अलग संधारित की गई है । बिगत तीन वर्षों में पत्राचार की स्थिति निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1999	307	756
2000	222	774
2001	333	989
2002	239	1156

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राप्त पत्रों की तुलना में निर्गत पत्रों की संख्या अधिक है । इस प्रकार पत्राचार की स्थिति अच्छी है ।

49- कॉन्सटेबुल नोट बुक :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 89(ड.) के तहत कॉन्सटेबल नोट बुक संधारित करना है जिसमें उल्लेख करना है कि संबंधित कॉन्सटेबल द्वारा कौन-कौन-सा कर्त्तव्य सम्पन्न किया गया, किस कार्य से कहाँ-कहाँ गया । किन्तु इस थाना में विहित प्रपत्र में संधारित नहीं कर सादे पेड में संधारित किया जा रहा है । थाना प्रभारी विहित प्रपत्र प्राप्तकर एक सप्ताह के अन्दर संधारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन देंगे ।

50- प्राथमिकी पंजी :-

प्राथमिकी पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । प्राथमिकी पंजी के बुक नं0 18072 क्रमांक 0903551 से 0903600

लगातार...23/-

तक का अवलोकन किया । वर्ष 2002 में कुल 135 प्राथमिकी दर्ज की गई है । यह पंजी पाँच प्रतियों में होती है । दर्ज प्राथमिकी की प्रथम प्रति मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दूसरी प्रति आरक्षी अधीक्षक, तीसरी प्रति अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, चौथी प्रति आरक्षी निरीक्षक को भेजी जाती है एवं पाँचवी प्रति थाना में रखी जाती है । उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है । चूँकि थाना को प्रथम न्यायालय कहा गया है, अतः जब कोई व्यक्ति थाना में अपनी शिकायत लेकर आता है तो उसे प्रथम न्यायालय में अवश्य न्याय मिलना चाहिए । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाना में आता है तो उनकी बात पूरी तन्मयता से सुने एवं प्राथमिकी दर्जकर निष्पक्ष भाव से समुचित धाराओं के अन्तर्गत त्वरित कार्रवाई करें ताकि पुलिस एवं प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े एवं अपराध नियंत्रण तथा विधि-व्यवस्था के संधारण में सहुलियत हो ।

51- अप्राथमिकी पंजी :-

विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्न प्रकार है :-

वर्ष	धारा 107/116	144	109/110	133	182/211	290
1997	42	14	-	-	4	-
1998	67	23	-	1	2	-
1999	30	06	-	-	13	-
2000	51	15	-	-	9	-
2001	41	05	-	-	8	-
2002	63	11	-	4	1	1

52- लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी :-

लंबित विशेष प्रतिवेदित कांडों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

लगातार...24/-

क्रमांक	कांड संख्या	दिनांक		अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	143/2000	13-12-2000	409/34 भा0द0वि0	आ0नि0 बी0के0श्रीवास्तव	अनुसंधान हेतु
2-	133/2000	09-11-2000	302/34 भा0द0वि0	अ0नि0 विनय भूषण राय	आदेश हेतु
3-	62/2002	11-06-2002	392 भा0द0वि0	अ0नि0 विनय भूषण राय	कुर्की-जब्ती हेतु
4-	41/2002	11-04-2002	395 भा0द0वि0	अ0 नि0विनय भूषण राय	कुर्की-जब्ती हेतु
5-	74/2002	04-07-2002	447/468/420/409/120 बी0	अ0नि0 ए0 एन0 झा	गिरफ्तारी हेतु
6-	44/2001	18-06-2001	406/420/ भा0द0वि0	अ0नि0 ए0 एन0 झा	गिरफ्तारी हेतु
7-	79/2002	01-07-2002	341/323/467/468/420/379/504/34	अ0नि0 ए0 एन0 झा	पर्यवेक्षण हेतु
8-	96/2002	08-08-2002	406/420/ भा0द0वि0	अ0नि0 ए0 एन0 झा	गिरफ्तारी हेतु
9-	97/2002	08-08-2002	406/420/ भा0द0वि0	अ0नि0 ए0एन0झा	गिरफ्तारी हेतु
10-	05/2001	09-02-2001	406/ भा0द0वि0	अ0नि0 विनोद कुमार	गिरफ्तारी हेतु
11-	12/2002	03-02-2002	467/468/500 भा0द0वि0	अ0नि0 विनोद कुमार	अनुसंधान हेतु
12-	124/2002	13-10-2002	452/353/186/352/290 भा0द0वि0	अ0नि0 विनोद कुमार	पर्यवेक्षण हेतु
13-	69/1992	06-06-1992	406/409/420/ भा0द0वि0	त0अ0नि0 बी0के0राय	गिरफ्तारी हेतु
14-	70/1993	03-05-1993	406/467/409 भा0द0वि0	त0अ0नि0 बी0के0राय	गिरफ्तारी हेतु
15-	02/2000	04-01-2000	406/467/409/ भा0द0वि0	त0अ0नि0 बी0के0राय	अनुसंधान हेतु
16-	119/1993	06-09-1993	406/409/420 भा0द0वि0	त0अ0नि0 परीक्षण सिंह	गिरफ्तारी हेतु
17-	121/1993	06-07-1993	406/409/420/467/468 भा0द0वि0	त0अ0नि0 परीक्षण सिंह	गिरफ्तारी हेतु
18-	76/1994	13-07-1994	406/420/288/337/323/120 बी0	त0अ0नि0 परीक्षण सिंह	सत्यापन हेतु
19-	48/2001	28-06-2001	326/307/3/4 वि0प्र0अधि0	त0अ0नि0 परीक्षण सिंह	आदेश हेतु
20-	40/2000	15-04-2000	147/148/149/323/452/342/151/153 153 ए/337 भा0द0वि0	त0अ0नि0 परीक्षण सिंह	स्वीकृत्यादेश हेतु
21-	64/2002	15-06-2002	147/148/149/323/324/307/427/504 भा0द0वि0 एवं आर्म्स एक्ट	त0अ0नि0 शोभाकान्त सिंह	मोटरसाईकिल जब्ती हेतु

53- लंबित अविशेष प्रतिवेदित कांडों की सूची :-

1-	13/2002	07-02-2002	147/341/342/323/379/504 भा0द0वि0	त0अ0नि0 बाल कृष्ण राय	गिरफ्तारी हेतु

2-	116/2002	26-09-2002 379/411/ भा0द0वि0	स0अ0नि0 परीक्षण सिंह	गिरफ्तारी हेतु
3-	117/2002	29-09-2002 379 भा0द0वि0	अ0 नि0 विनोद कुमार	पर्यवेक्षण हेतु
4-	121/2002	09-10-2002 342/323/326/307/354/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 परीक्षण सिंह	गिरफ्तारी हेतु
5-	135/2002	18-11-2002 342/323/379/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 जानकी दास	अनुसंधान हेतु

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1992 का 1, 1993 का 3, 1994 का 1, 2000 के 4 एवं 2001 3 अर्थात 12 कांड काफी दिनों से लंबित चले आ रहे हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

54- चरित्र सत्यापन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 92(क) में नियोजनार्थियों के पूर्व चरित्र के सत्यापन हेतु विशेष निर्देश दिये गये हैं । इस हेतु अलग से पंजी संधारित है जिसके अनुसार इस वर्ष कुल 17 मामले प्राप्त हुए थे जिसका निष्पादन किया जा चुका है । कोई भी मामला लंबित नहीं है ।

55- कैश बुक :-

कैश बुक दो भागों में संधारित है । भाग-I में कैदियों के भोजन की राशि अंकित की जाती है एवं भाग-II में आरक्षियों के वेतन आदि की विवरणी लिखी जाती है । प्राप्त राशि का वितरण कर दिया गया है । कैश बुक का संधारण अच्छे ढंग से किया जा रहा है ।

56- तम्बाकू गार्ड :-

निरीक्षण के दौरान निम्नांकित आरक्षियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गई । सभी आरक्षियों का आऊट-टर्न अच्छा रहा । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी इन्हें नियमानुसार उचित राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे :-

(क) हवलदार - रामा शंकर झा
(ख) आरक्षी 48 - अशोक कुमार सिंह
(ग) आरक्षी 638 - कपिलदेव यादव
(घ) आरक्षी 336 - राम नन्दन रमण
(ङ) आरक्षी 758 -

लगातार...26/-

57- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की माँग किये जाने पर तत्समय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) प्रत्येक माह आयोजित जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा बताया गया है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें ।

(ग) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह समन्वय स्थापित कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(घ) बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 100 में थाना प्रभारी को अतिक्रमण हटाने हेतु शक्ति प्रदत्त है । इसी प्रकार इनक्रोचमेंट एक्ट में भी थाना प्रभारी को शक्ति प्रदत्त है । अतः उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने थाना क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें ।

(च) नीलाम पत्र वादों के विरूद्ध निर्गत डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि राजस्व वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(छ) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनकी कठिनाईयों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष होकर समुचित मदद करें ।

(ज) सतत् एवं सघन छापामारी अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को चुस्त-दुरूस्तकर अपराध नियंत्रण हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई करें ।

लगातार...27/-

57- अन्यान्य :-

(क) जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी0पी0 द्वारा शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं, उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की माँग किये जाने पर सतसय उपलब्ध करायेंगे ।

(ख) प्रत्येक माह आयोजित जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में ए0पी0पी0 द्वारा बताया गया है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव थाना प्रभारी लंबित कांडों के निष्पादन की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें ।

(ग) भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति व्यवस्था कायम करने में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रत्येक सप्ताह समन्वय स्थापित कर अपेक्षित सहयोग दें ।

(घ) बिहार आरक्षी दस्तक के नियम 100 में थाना प्रभारी को अतिक्रमण हटाने हेतु शक्ति प्रदत्त है । इसी प्रकार इनक्रोचमेंट एक्ट में भी थाना प्रभारी को शक्ति प्रदत्त है । अतः उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने थाना क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें ।

(च) नीलाम पत्र वादों के विरूद्ध निर्गत डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ताकि राजस्व वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

(छ) गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनकी कठिनाईयों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष होकर समुचित मदद करें ।

(ज) ततत् एवं सघन छापामारी अभियान चलाकर/रात्रि गश्ती को चुस्त-दुरूस्तकर अपराध नियंत्रण हेतु ठोस एवं कारगर कार्रवाई करें ।

लगातार...27/-

58- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी पूरी चुस्ती एवं मुस्तैदी से अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं । पंजियों एवं अभिलेखों का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है किन्तु कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं, उसे समय-सीमा के अन्दर दूर कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर का अपने अधिनस्थ थाना प्रभारियों/आरक्षियों पर नियंत्रण अच्छा है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी थाना प्रभारी, झंझारपुर को 500/- (पाँच सौ) रूपये की राशि से पुरस्कृत करना चाहेंगे । अपराध नियंत्रण के प्रति थाना प्रभारी को विशेष संवेदनशील होने की आवश्यकता है ।

Rajendra 30.11.2002
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 3733/सामान्य मधुबनी, दिनांक 30 नवम्बर, 2002 ई० ।

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - गृह सचिव (गृह आरक्षी) विभाग, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि - थाना प्रभारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 30.11.2002
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।